प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 07.12.2025

- **महिला सम्बन्धी अपराधों पर अंकुश लगाने में कानपुर देहात पुलिस की कड़ी कार्यवाही जारी।**
- **थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर अपने साथ होटल ले जाकर दुष्कर्म करने वाले 01 अभियुक्त एवं अपराध में सहयोग करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 06.12.2025 को वादी की नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 383/2025 धारा 87/137(2) बीएनएस बनाम विपिन यादव पुत्र धर्मेन्द्र यादव निवासी ग्राम ह्दयपुर थाना बिधनू जनपद कानपुर नगर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा वादी मुकदमा की मौजूदगी में दिनांक 06.12.2025 को कस्बा शिवली में शिवली कल्याणपुर मार्ग पर स्थित गुरू कृपा पैलेस ओयो होटल से पीड़िता को सकुशल बरामद करते हुए अभियुक्त विपिन यादव पुत्र धर्मेन्द्र यादव निवासी ग्राम ह्दयपुर थाना बिधनू कानपुर नगर व अपराध में सहअभियुक्त होटल के रिसेप्शन पर मौजूद कर्मचारी आयुष कटियार पुत्र प्रवेश कटियार निवासी ग्राम कासामऊ थाना शिवराजपुर जनपद कानपुर नगर को गिरफ्तार किया गया। मौके पर फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी। मुकदमा उपरोक्त में पीड़िता के अभिकथनों व साक्ष्य संकलन के **आधार** पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1)/142/61(2) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं 16/17 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी करते हुए, गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. विपिन यादव पुत्र धर्मेन्द्र यादव उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम ह्दयपुर थाना बिधनू जनपद कानपुर नगर।
2. आयुष कटियार पुत्र प्रवेश कटिया उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम कासामऊ थाना शिवराजपुर जनपद कानपुर नगर।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 मोबाइल फोन एन्ड्रायड अभियुक्त विपिन यादव
2. 01 मोबाइल फोन एन्ड्रायड अभियुक्त आयुष कटियार
3. 01 अदद होटल प्रवेश रजिस्टर
4. 1800 रुपये जामा तलाशी अभियुक्त आयुष कटियार

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना शिवली पुलिस।